


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>यशपालसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 45/2023</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>20-02-2023</p>	<p>अपीलार्थी यशपालसिंह मार्फत डॉ जयसिंह राठौड़, पता नसरानी सिनेमा के पीछे, प्रथम ए रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 09.12.2022 में (1) जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर के आदेश कमांक राजस्व/परिवर्तन/आवंटन/2404 दिनांक 25.06.1969 द्वारा खसरा संख्या 903/747 में 56 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन/संपरिवर्तन/रूपान्तरण की शर्तें पूर्ण नहीं किये जाने पर किये गये आवंटन को निरस्त करने के संबंध में संधारित संपूर्ण पत्रावली (प्रकरण सं० 46/1995) की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं अन्य सुसंगत पत्र/पत्रावली की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 179 दिनांक 15.02.2023 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रभारी अधिकारी, अभिलेख शाखा कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार श्री यशपालसिंह को कार्यालय पत्रांक 39 दिनांक 12.01.23 द्वारा रेकॉर्ड अवलोकन हेतु लिखा गया था, परन्तु प्रार्थी रेकॉर्ड अवलोकन हेतु कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, जिसके अभाव में सूचना दिया जाना संभव नहीं है।</p> <p>चूंकि चाही गई सूचना अत्यधिक पुरानी होने से लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) की रिपोर्ट के अनुसार प्रभारी अधिकारी, अभिलेख शाखा कार्यालय हाजा द्वारा प्रार्थी को उसके पास चाहे गये रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेज की प्रति के साथ रिकॉर्ड अवलोकन करने हेतु पत्र जारी किया गया, उसके उपरांत भी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ तथा रिकॉर्ड भी पुराना है अतः अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा पुनः किसी प्रकार का जबाब नहीं देने से लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील निरस्त की जाती है। आदेश की संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.) </p>	